रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241326 CG-DL-E-23122022-241326

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5766] No. 5766] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

# पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6007(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कच्चे तेल के परिवहन के लिए, न्यू मुंद्रा-पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना के तहत, चुडवा गांव से पानीपत तक पाइपलाइन को तालुका:लाखणी, जिला बनासकांठा, राज्य गुजरात में बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित है, और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन)अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसुची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है,उस तारीख से,जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर,भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए, उसमे उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध श्री भरत जे. अक्रूवाला, अपर समाहर्ता (अवकाश प्राप्त) सक्षम प्राधिकारी, न्यू मुन्द्रा पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लोट नं. 346 एवं 347, वार्ड नं. 12 बी, गांधीधाम, जिला–कच्छ, गुजरात–370201 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

8576 GI/2022 (1)

अनुसची						
तालुका - लाखणी		जिला – बनासकांठा	राष	राज्य – गुजरात		
<b>क्र</b> . सं.	ग़ांव का नाम	खसरा सं.		संपादित क्षेत्रफल		
			हेकटेयर	एयर	वग़ॅ मीटर	
1	2	3	4	5	6	
1	चालवा	314	00	38	09	
		275	00	15	78	
		313	00	19	73	
		309	00	86	10	
		282	00	06	82	
		308	00	24	21	
		306	00	12	59	
		303	00	59	20	
		302	00	00	74	
		301	00	01	48	
		304	00	14	31	
		345	00	46	87	
		357	00	20	55	
		356	00	80	88	
		355	00	15	81	
		425	00	00	40	
		430	00	21	32	
		429	00	23	09	
		450	00	07	70	
		449	00	16	59	
		448	00	01	13	
		460	00	02	36	
		447	00	28	30	
		465	00	07	86	
		442	00	19	85	
		467	00	11	50	
		468	00	12	43	
		495	00	29	49	
		504	00	00	94	
		505	00	07	50	
		506	00	16	70	
		510	00	00	39	

	चालवा	508	00	07	89
		509	00	09	74
		525	00	29	80
		523	00	03	54
		518	00	15	81
2	अछवडीया	85	00	40	40
		80	00	01	06
		78	00	05	30
		79	00	27	22
		75	00	12	89
		74	00	80	50
		53	00	18	11
		54	00	15	36
		31	00	80	52
		55	00	02	13
		30	00	17	05
		32	00	02	77
		29	00	16	00
		28	00	06	79
		19	00	10	92
		21	00	09	50
		20	00	07	99
		17	00	13	77
		15	00	29	03
		5	00	22	15
		4	00	23	60
		2	00	80	11
		3	00	21	54
		222	00	00	48
		223	00	19	89
		225	00	26	74
		226	00	04	85
		201	00	15	86
		200	00	26	44
		198	00	04	96
		202	00	24	42

अछवडीया	197	00	50	34
	196	00	06	21

[फा. सं. आर -11017/5/2022-ओआर-।/ई-44402]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

# MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2022

**S.O. 6007(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Crude Oil Pipeline from Chudva to Panipat under New Mundra - Panipat Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in Taluka Lakhni of Banaskantha District in State of Gujarat.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty—one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Bharat J. Akruwala, Additional Collector (Retd.) Competent Authority, New Mundra Panipat Pipeline Project, Indian Oil Corporation Limited, Plot No. 346 & 347, Ward No. 12 B, Gandhidham, District Kutch, Gujarat — 370201.

Taluka:- Lakhni		District:- Banaskantha	Stat	e :- Guja	rat	
Sl.		IZI N.	Area to be acc			
No.	Name of the Village	Khasara No.	Hectare	Are	Sq.mtr.	
1	2	3	4	5	6	
1	Chalva	314	00	38	09	
		275	00	15	78	
		313	00	19	73	
		309	00	86	10	
		282	00	06	82	
		308	00	24	21	
		306	00	12	59	
		303	00	59	20	
		302	00	00	74	
		301	00	01	48	
		304	00	14	31	
		345	00	46	87	
		357	00	20	55	
		356	00	08	88	
		355	00	15	81	
		425	00	00	40	
		430	00	21	32	
		429	00	23	09	
		450	00	07	70	
		449	00	16	59	
		448	00	01	13	
		460	00	02	36	
		447	00	28	30	
		465	00	07	86	
		442	00	19	85	
		467	00	11	50	
		468	00	12	43	
		495	00	29	49	
		504	00	00	94	

1	2	3	4	5	6
	Chalva	505	00	07	50
	(Contd)	506	00	16	70
	Chalva	510	00	00	39
		508	00	07	89
		509	00	09	74
		525	00	29	80
		523	00	03	54
		518	00	15	81
2	Achhavadiya	85	00	40	40
	-	80	00	01	06
		78	00	05	30
		79	00	27	22
		75	00	12	89
		74	00	08	50
		53	00	18	11
		54	00	15	36
		31	00	08	52
		55	00	02	13
		30	00	17	05
		32	00	02	77
		29	00	16	00
		28	00	06	79
		19	00	10	92
		21	00	09	50
		20	00	07	99
		17	00	13	77
		15	00	29	03
		5	00	22	15
		4	00	23	60
		2	00	08	11
		3	00	21	54
		222	00	00	48
		223	00	19	89
		225	00	26	74
	Achhavadiya	226	00	04	85
	(Contd)	201	00	15	86
	Achhavadiya	200	00	26	44
		198	00	04	96
		202	00	24	42
		197	00	50	34
		196	00	06	21
		IT N	D 11017/5/		1/E 444001

[F. No. R-11017/5/2022-OR- 1/E-44402]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.